म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्र./बोर्ड/विधि/06/परिपत्र/2025/ 457 भोपाल, दिनांक 22-05-2025

प्रति,

संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय- ....(समस्त)

विषयः- माननीय उच्च न्यायालयों में मण्डी बोर्ड/मंडी समिति के लंबित/विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों के संबंध में।

--000--

विषय सन्दर्भ में प्रबंध संचालक महोदय द्वारा VC दिनांक 19/05/25 में प्रदत्त निर्देशों का स्मरण करें, जिसमें आप उपस्थित थे। कतिपय रूप से देखने में आया है कि मुख्यालय को प्रेषित की जाने वाली न्यायालयीन प्रकरणों की सूची संभागीय कार्यालयों द्वारा अद्यतन नहीं की जा रही है। सतत् निर्देशों के उपरांत भी प्रत्येक माह की जानकारी में एक ही सूची बिना किसी अद्यतनीकरण के मुख्यालय को प्रेषितं की जा रही है जो कि उचित नहीं है। जानकारी अद्यतन नहीं होने से प्रकरणों की समीक्षा में कठिनाई परिलक्षित होती है।

इसी प्रकार आंचलिक कार्यालयों/मंडियों द्वारा न्यायिक प्रकरणों में पारित निर्णय/आदेश की सत्यापित प्रति (certified copy) एवं अधिवक्ता का अभिमत संलग्न कर प्रेषित नहीं किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि

1. जिन प्रकरणों में शासन अथवा मंडी बोर्ड/मंडी समिति की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं है, उनमें तत्काल जवाबदावा प्रस्तुत किया जाये।
2. न्यायालयीन प्रकरणों की सूची का पुनः परीक्षण करते हुये अद्यतन सूची (जवाबदावा प्रस्तुत एवं प्रस्तुतीकरण हेतु शेष प्रकरणों की पृथक-पृथक सूची) की सत्यापित प्रति (एवं सॉफ्ट कॉपी मंगल फॉण्ट में) दिनांक 23/05/2025 तक मुख्यालय प्रेषित की जाये तथा मासिक प्रगति की जानकारी प्रति माह 05 तारीख तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. माननीय न्यायालय के निर्णय/आदेश प्रसारित होने पर तत्काल आदेश की सत्यापित प्रति (certified copy) प्राप्त कर अधिवक्ता के अभिमत के साथ मुख्यालय प्रेषित की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

(रितु चौहान)
संयुक्त संचालक, (विधि)
म०प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Ds meeting letter

क्र./बोर्ड/विधि/06/परिपत्र/2025/458 भोपाल, दिनांक 22-05-2025

प्रतिलिपि:-

निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।

संयुक्त संचालक, (विधि)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल